

आअदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

राजगढ़ जिला चूरु

अन्तरसिंह

बनाम

सरकार

किस्म मुकदमा 136 एल0आर0 एक्ट

नम्बर मुकदमा 265 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुक्म
4-1-2021	<p>यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट का प्रार्थी अन्तरसिंह पुत्र दिगलाराम जाति जाट तहसील राजगढ़ जिला चूरु न इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि खाता सं. ख0नं0 15, 31, 16 शेडीग्राम दानी खुडानी व जमावडी के खाता सं0 5 तहसील राजगढ़ जिला चूरु में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का गलत नाम मुलीचन्द्र भूलवश राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है जो लिपिकिय भूलवश दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी के दस्तावेजात जैसे प्रार्थी के मतदाता सूचि, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में प्रार्थी का असल व रिकार्डेड नाम अन्तरसिंह दर्ज है, का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड व प्रार्थना पत्र का अवलोकन के बाद प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पुष्टि होनी पाई जाती है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि खाता सं. ख0नं0 15, 31, 16 शेडीग्राम दानी खुडानी व जमावडी के खाता सं0 5 तहसील राजगढ़ जिला चूरु के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का गलत नाम मुलीचन्द्र के स्थान पर सही नाम अन्तरसिंह शुद्ध किया जावे। तदनुसार दुरुस्ती हेतु तहसीलदार, राजगढ़ को लिखा जाकर पालना करवाई जावे। बाकी इन्द्राजात यथावत रहेंगे।</p>	

मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी

राजगढ़ (चूरु)